

**कार्यालय आदेश**

मैं डॉ. महेन्द्र सोलकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि **माह अगस्त, सितंबर 2023** में राजकीय अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य अपेक्षित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने एवं कर्नादियन डेथ की मजिस्ट्रेट जाँच के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

**माह अगस्त 2023**


क्र.सं.	दिनांक एवं अवकाश	रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1	06.08.2023 रविवार	श्रीमती नीलम नाहर	श्री मकसमन्द गैर
	09.08.2023 आदिवासी दिवस	जे.एम. बांसवाड़ा	91669 00265
2	12.08.2023 द्वितीय शनिवार	श्री यशवत आमेरिया	श्री दिनेश वैरागी गैर
	13.08.2023 रविवार	ए.सी.जे.एम. कुशलगढ	73397 11072
	15.08.2023 स्वतंत्रता दिवस		
3	20.08.2023 रविवार	सुश्री ललिता सोनी, जे.एम. गढी	श्री राजेन्द्र भोई गैर 94146 45887
4	26.08.2023 चतुर्थ शनिवार	सुश्री रीतिका श्रोती	श्री संदीप नानावटी गैर
	27.08.2023 रविवार	ए.जे.एम. बांसवाड़ा	94134 54702
	30.08.2023 रक्षा बंधन		

**माह सितंबर 2023**

1	03.09.2023 रविवार	श्री पूरनसिंह मीना, ए.सी.जे.एम. बांसवाड़ा	श्री राजेन्द्र व्यास गैर 98879 60681
2	07.09.2023 जन्माष्टमी	श्री नवीन मीणा,	श्री अशाक मीणा गैर
	09.09.2023 द्वितीय शनिवार	जे.एम. वागीदारा	94138 50886
	10.09.2023 रविवार		
3	17.09.2023 रविवार	श्री पूरनसिंह मीना,	श्री राजेन्द्र व्यास गैर
	19.09.2023 गणेश चतुर्थी	ए.सी.जे.एम. बांसवाड़ा	98879 60681
4	23.09.2023 चतुर्थ शनिवार	सुश्री भारती उपाध्याय,	श्री पवन शाह गैर
	24.09.2023 रविवार	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तलवाडा	94147 22574
	25.09.2023 बाबा रामदेव जयंती		
5	28.09.2023 बारा-वफात	सुश्री ललिता सोनी, जे.एम. गढी	श्री राजेन्द्र भोई गैर 94146 45887

**नोट:-**

- रिमाण्ड इयूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय परचात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियों में आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा ट्रेनिंग आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर अथवा किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से अवकाश घोषित कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड इयूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड इयूटी सम्पादित की जावेगी।
- प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बांसवाड़ा (राज.)